पाठ्यक्रम का अर्थ (Meaning of Curriculum)

पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा तथा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। वास्तव में पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के 'केरीकुलम' (Carriculum) के पर्याय के रूप में हुई है। 'केरीकुलम' एक लेटिन शब्द है, जिसका अर्थ है "दौड़ का मैदान"। इस प्रकार पाठ्यक्रम की तुलना उस "दौड़ के मैदान" से की गई है जिसको दौड़कर पार करने वाला विद्यार्थी अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँच जाता है। दूसरे शब्दों में, पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसका अनुकरण करके विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करता है।

कुछ प्रमुख परिभाषायें इस प्रकार हैं—

(1) **कनिंघम** के अनुसार, "कलाकार (शिक्षक) के हाथ में यह एक साधन है जिसके द्वारा वह पदार्थ (शिक्षार्थी) को अपने आदर्श (उद्देश्य) के अनुसार अपने स्टूडियो (स्कूल) में ढाल सके।"

(The Curriculum is the tool in the hands of the artist (the Teacher) to mould his material (the Pupil) according to his ideal (Objectives) in his studio (the School).

—Cunningham

Scanned with CamScanner

(2) **मुनरो** ने कहा है कि, "पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विद्यालय प्रयोग में लाता है।"

(Curriculum embodies all the experiences which are utilized by the school to attain the aims of education.

—Munroe

(3) **फ्रोबेल** के अनुसार, "पाठ्यक्रम को मानव जाति के सम्पूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का निचोड़ (सार) समझा जाना चाहिये।"

"Curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experiences of the human race."

—Froebel

(4) **माध्यमिक शिक्षा आयोग** के अनुसार, "सम्पूर्ण स्कूली जीवन ही पाठ्यक्रम है, जो छात्रों के जीवन को हर बिन्दु पर स्पर्श करता है तथा उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में योगदान देता है।"

"The whole life of the school is curriculum which can touch the life of the students at all points and help them in the evolution of a balanced personality."

—Secondary Education Commission

पाठ्यक्रम, पाठ्य-वस्तु एवं पाठ्य-चर्या
(Curriculum, Syllabus And Course of Study)

पाठ्यक्रम के लिए 'करीक्युलम' के साथ-साथ 'सिलेवस' (Syllabus) तथा 'कोर्स ऑफ स्टडी' (Course of Study) शब्दों को भी प्रयुक्त किया जाता है, किन्तु इन तीनों में अन्तर है। जब तक पाठ्यक्रम (करीक्युलम) शब्द पाठ्य-विषयों के सीमित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता रहा तब तक ये तीनों शब्द प्रायः समानार्थी माने जाते रहे, परन्तु पाठ्यक्रम शब्द की संकल्पना में व्यापकता आ जाने के फलस्वरूप इन शब्दों के प्रयोग में भिन्नता आ गई है।

पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिन्हें छात्र विद्यालयी जीवन में प्राप्त करता है तथा जिनमें कक्षा के अन्दर एवं बाहर आयोजित की जाने वाली पाठ्य एवं पाठ्येतर क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं, जबकि पाठ्य-वस्तु (सिलेवस) में निर्धारित पाठ्य-विषयों से सम्बन्धित क्रियाओं का ही समावेश होता है। इस प्रकार पाठ्य-वस्तु के अन्तर्गत किसी विषय-वस्तु का विवरण शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है जिसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है।

पाठ्यक्रम और पाठ्य-वस्तु के अन्तर को एक विद्वान ने भिन्न दृष्टि से प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार, "पाठ्य-वस्तु पूरे शैक्षिक सत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा छात्रों को दिये जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है जबकि पाठ्यक्रम यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा पाठ्य-वस्तु की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। दूसरे शब्दों में पाठ्य-वस्तु (सिलेबस) शिक्षण की विषय-वस्तु का निर्धारण करता है तथा पाठ्यक्रम उसे देने के लिए प्रयुक्त विधि का।"

हेनरी हरेप (Henry Harrap) के अनुसार, "पाठ्य-वस्तु (सिलेबस) केवल मुद्रित संदर्शिका है जो यह बताती है कि छात्र को क्या सीखना है जबकि पाठ्य-वस्तु की तैयारी पाठ्यक्रम विकास के कार्य का एक तर्क सम्मत सोपान है।"

यूनेस्को (UNESCO) के एक प्रकाशन **'Preparing Textbook Manuscripts'** (1970) में पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-वस्तु के अन्तर को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है—

"पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु विषयों, उनकी व्यवस्था एवं क्रम का निर्धारण करता है तथा अध्ययन विषयों में एकरूपता सुनिश्चित करता है जिससे विषयों के बीच अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करने में सुविधा होती है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम, विभिन्न विषयों के लिए विद्यालय की समय-अवधि का आवंटन

Scanned with CamScanner

प्रत्येक विषय को पढ़ाने के उद्देश्य, क्रियात्मक कौशलों को प्राप्त करने की गति तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षण में विभेदीकरण का निर्धारण करता है जबकि पाठ्य-वस्तु निर्धारित पाठ्य-विषयों के शिक्षण हेतु अन्तर्वस्तु, उसके ज्ञान की सीमा, छात्रों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले कौशलों को निश्चित करता है तथा शैक्षिक सत्र में पढ़ाये जाने वाले व्यक्तिगत पहलुओं एवं निष्कर्षों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। .... पाठ्य-वस्तु किसी पाठ्य-विषय के लिए अधिगम के एक स्तर विशेष पर पाठ्यक्रम का एक परिष्कृत एवं विस्तृत रूप होता है।"

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समाहित होने वाली कुछ क्रियाएँ पाठ्य-वस्तु के क्षेत्र से बाहर रह जाती हैं तथा पाठ्य-वस्तु उसका एक अंश बनकर रह जाता है।

दूसरे शब्दों में, पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय की समस्त क्रियाओं को समाविष्ट किया जाता है तथा इसका स्वरूप व्यापक होता है जबकि पाठ्य-वस्तु का स्वरूप सुनिश्चित होता है तथा इसके अन्तर्गत केवल शिक्षण विषयों के प्रकरणों को ही सम्मिलित किया जाता हैं।

पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम के लिए प्रचलित शब्दों में अपेक्षाकृत नया शब्द हैं। इसका प्रयोग पाठ्यक्रम के क्रमबद्ध, स्पष्ट, विषयवार एवं विस्तृत स्वरूप के लिये किया जाता है।

पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम के उस पक्ष को कहा जाता है जिसे कक्षा में प्रयोग हेतु व्यवस्थित किया जाता है। इसमें अन्तर्वस्तु के अतिरिक्त शिक्षकों, छात्रों तथा प्रकाशकों के उपयोगार्थ सहायक सामग्री एवं कार्य-विधि आदि के निर्देश भी सम्मिलित होते हैं। **गुड** (Good) के शिक्षा-शब्दकोष के अनुसार, "पाठ्यचर्या एक कार्यालयी संदर्शिका होती है जो किसी कक्षा को किसी विषय के शिक्षण में सहायता के लिए किसी विद्यालय विशेष अथवा व्यवस्था के लिए तैयार की जाती है। इसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम के लक्ष्य, अपेक्षित परिणाम, अध्ययन सामग्री की प्रकृति एवं विस्तार तथा उपयुक्त सहायक सामग्री एवं पाठ्य-पुस्तकों के साथ-साथ अनुपूरक पुस्तकों, शिक्षण विधियों, सहगामी क्रियाओं तथा उपलब्धि मापन के सुझाव भी सम्मिलित किये जाते हैं।" कुछ विद्वानों द्वारा पाठ्य-वस्तु (Syllabus) एवं पाठ्यचर्या (Course of Study) को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। वर्तमान समय में 'सिलेबस' के स्थान पर 'कोर्स आफ स्टडी' शब्द का प्रयोग अधिक किया जाने लगा है।

Scanned with CamScanner

world outside the School)।

पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त
(Principles of Curriculum Construction)

वर्तमान पाठ्यक्रम में अनेक त्रुटियाँ हैं। अतः पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने के लिये हमें पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्तों का अनुपालन करना चाहिये।

पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

(1) क्रियाशीलता का सिद्धान्त (Principle of Activity)—

"The school should be thought of not a knowledge monger's shop but a place where the young are disciplined in certain forms of activity." —*T. P. Nunn*

इस सिद्धान्त के अनुसार बालकों को विज्ञान का विषय नीरस तथा कठिन मालूम नहीं होता। वह विज्ञान के अध्ययन में वास्तविक आनन्द का अनुभव करते हैं। उनको केवल यांत्रिक रूप से ही विज्ञान के सिद्धान्तों तथा नियमों को स्मरण नहीं करना पड़ता, बल्कि मानसिक तथा शारीरिक रूप से क्रियाशील रहने के कारण वे थोड़े ही समय में विज्ञान के कठिन तथ्यों का स्थायी ज्ञान बहुत ही सुविधा से ग्रहण कर लेते हैं। बालक अध्यापक द्वारा बताई गई बातों को बिना सोचे-समझे ग्रहण नहीं कर लेता वरन् वह अपनी तर्क, विवेचना एवं कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करता है। अतः पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी समस्यायें रखनी चाहियें जिनसे विद्यार्थियों को क्रियाशील रहने का अवसर मिले तथा वे स्वयं के अनुभवों के आधार पर इस विषय का सरलता से अध्ययन कर सकें।

(2) विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धान्त (Principle of Variety and Elasticity)—इस सिद्धान्त के अनुसार, *बालक को बालक ही समझना चाहिये; हमें अपना ज्ञान उस पर थोपना नहीं चाहिये।* बालक का अपना अलग ही व्यक्तित्व होता है। उसको केन्द्र मानकर जो पाठ्यक्रम बनाया जायेगा वह कभी कठिन नहीं होगा वरन् उसके लिये उपयोगी ही सिद्ध होगा। बाल-केन्द्रित पाठ्यक्रम में बालक के जीवन से सम्बन्धित वास्तविक समस्याओं को प्रमुख स्थान मिलता है। अतः अध्यापक को अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए बालक की विशिष्ट मानसिक सामर्थ्यों, शक्तियों एवं क्रियाओं को जानना

Scanned with CamScanner

आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में दृढ़ता न होकर लचीलापन (Flexibility) होने चाहिये। परिस्थिति, काल, समय के अनुसार उसमें समय-समय पर परिवर्तन करते रहना चाहिये। लचीला पाठ्यक्रम ही बालक तथा समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। *पाठ्यक्रम बालक के लिये है, बालक पाठ्यक्रम के लिए नहीं।* यदि पाठ्यक्रम में लचीलापन नहीं होगा और परिस्थितियों के बदलने पर उसमें परिवर्तन नहीं किये जायेंगे तो निःसंदेह शिक्षा में नीरसता तथा अरुचि उत्पन्न हो जायेगी।

माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार—"व्यक्तिगत भिन्नताओं की दृष्टि से तथा व्यक्तिगत विशेषताओं एवं रुचियों के अनुकूलन के लिये पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता एवं लचीलापन होना चाहिये।"

"There should be enough of variety and elasticity in the curriculum to allow for individual differences and adaptation to individual needs and interests."

—*Secondary Education Commission*

(3) उपयोगिता का सिद्धान्त (Principle of Utility)—विज्ञान हमारे जीवन के लिये एक बहुत ही उपयोगी विषय है। अतः विज्ञान के पाठ्यक्रम में हमारे उपयोग में आने वाले प्रकरणों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिये। इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि विज्ञान विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है तथा जीवन में परिस्थितियों और चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करने में भी हमें सक्षम बनाता है। इसलिये विज्ञान के पाठ्यक्रम में उपयोगिता का सिद्धान्त एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करता है। पाठ्यक्रम की पाठ्यवस्तु व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टि से जीवनोपयोगी होनी चाहिये। यह वर्तमान एवं भविष्य दोनों के लिये उपयोगी होनी चाहिये। उपयोगिता के अन्तर्गत जीविकोपार्जन का उद्देश्य भी सम्मिलित है।

"Generally men liked that their children should learn something which is not only useful for guidance but also should learn more only those things which were most useful in his prosperous life."

—*T. P. Nunn*

(4) प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाहित करने का सिद्धान्त (Principle Based on Democratic Values)—हमारे देश में शासन का स्वरूप प्रजातांत्रिक है। अतः शिक्षा द्वारा नागरिकों को केवल ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं होता वरन् उनमें अपेक्षित दृष्टिकोण तथा कुशलता विकसित करना भी आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम तैयार करते समय हमें निम्नलिखित प्रजातांत्रिक मूल्यों (Democratic Values) को विशेष महत्व देना चाहिये—

(i) एक-दूसरे के सम्मान की भावना (Respect of an Individual)
(ii) समूह स्तर पर कार्य का सम्पादन (Work on Group Basis)
(iii) कार्य एवं दायित्व में संतुलन (Balance between Work and Duties)
(iv) समस्याओं का निदान (Eradication of Problems)
(v) नवीन विचारों का स्वागत (Receptivity of New Ideas)
(vi) उत्तरदायित्व एवं सहयोग की भावना (Sense of Responsibility and Co-operation)
(vii) सामाजिक चेतना का ज्ञान (Social Sensitivity)
(viii) विस्तृत विचारधारा (Open Mindedness)।

(5) सामाजिक आदर्शों का सिद्धान्त (Principle of Social Orientation)—पाठ्यक्रम का निर्माण समाज के स्वीकृत आदर्शों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है। समाज की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुकूल सामाजिक भावना उत्पन्न करने के लिये पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण होता है। विज्ञान के पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरण रखने चाहियें जिनके द्वारा बालक को विभिन्न प्रकार की विज्ञान सम्बन्धी सामाजिक समस्याओं को हल करने का अवसर मिल सके। विज्ञान शिक्षण

Scanned with CamScanner

बालकों में सामाजिकता की भावना का विकास अवश्य होना चाहिये। उनको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिये जिससे वे समाज की समस्याओं को हल कर सकें तथा समाज के साथ ही साथ उन्नति भी कर सकें।

"No conflict between Society-centredness and Child-centredness." —*Alberty*

"System of value that it preaches and the goal set up by society between its curricula and the modernity of science, like education to life associated with concrete goals establish a close relationship between society and economy. Innate or re-discovered and educational system that fills its surroundings, surely, this is where the solution must be sought."

—*International Education Commission*

(6) **मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक क्रम का सिद्धान्त (Principle of Psycho-logical and Logical Order)**—बालक को शिक्षा देने के दो क्रम हैं, मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक। मनोवैज्ञानिक क्रम में बालक अपनी रुचि, योग्यता, जिज्ञासा, उत्साह, आयु, क्षमता इत्यादि के अनुसार तथा तार्किक क्रम में तर्कपूर्ण ढंग से अध्ययन करते हैं। तार्किक क्रम में बालकों की रुचि, जिज्ञासा एवं क्षमता की अवेहलना की जाती है। प्राचीन काल में तार्किक क्रम को अधिक महत्व दिया जाता था परन्तु आजकल मनोविज्ञान के महत्व के आधार पर मनोवैज्ञानिक क्रम को ही अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। मनोवैज्ञानिक क्रम द्वारा बालक विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान बड़ी सुगमता से कर लेते हैं, पाठ्यवस्तु में उनकी रुचि, उत्साह एवं कौतुहल बढ़ जाता है और वे अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः छोटे बालकों की शिक्षा के लिये हमें 'मनोवैज्ञानिक क्रम' का प्रयोग करना चाहिये और जैसे-जैसे बालक ऊँची कक्षाओं में पहुँचते जायें वैसे-वैसे हमें 'तार्किक क्रम' का प्रयोग करना चाहिये।

(7) **स्थानीय परिस्थितियों से सम्बन्धित करने का सिद्धान्त (Principle of Local Determination)**—पाठ्यक्रम में ऐसी वस्तुओं, क्रियाओं तथा विषयों को स्थान देना चाहिये जो बालकों को मानव जाति के विभिन्न अनुभवों से अवगत करा सकें। इन अनुभवों को प्राप्त कर लेने से वह विभिन्न जातियों के जीवन में भाग लेने के लिये स्वयं को भली प्रकार तैयार कर लेता है। पाठ्यक्रम व्यक्तिगत भिन्नताओं (Individual Differences) व स्थानीय परिस्थितियों (Local Conditions) से विशेष रूप से नियंत्रित रहता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें सम्पूर्ण राष्ट्र की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिये। एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम को पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक स्थान दूसरे स्थान से संस्कृति एवं दूसरे अन्य सन्दर्भों में पर्याप्त रूप से भिन्न होता है।

"Education suffers basically from the gap between its contents and the living experiences of its people." —*International Education Commission*

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है—"पाठ्यक्रम सामुदायिक जीवन से सजीव एवं अनिवार्य अंग के रूप में सम्बन्धित होना चाहिये।"

"Curriculum must be vitally and organically related to community life."

— *Secondary Education Commission*

(8) **दूरदर्शिता का सिद्धान्त (Principle of Forward Looking)**—अधिकाँश विद्यार्थी आगे चलकर विश्वविद्यालय अथवा टैक्नीकल शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, अतः पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम में हमें केवल उन्हीं प्रकरणों को सम्मिलित

नहीं करना चाहिये जो विद्यार्थियों की दैनिक एवं वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों वरन् उन प्रकरणों, जिनके द्वारा विद्यार्थी का भविष्य भी उज्ज्वल हो एवं अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकें, को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिये। पाठ्यक्रम द्वारा बालक की रचनात्मक शक्ति का भी विकास होना चाहिये। वास्तव में, रचनात्मकता ही हमारा एक मात्र उद्देश्य होना चाहिये। इस दृष्टि से हमें दूरदर्शिता को अपने पाठ्यक्रम का अंग अवश्य बनाना चाहिये।

टी० रेमण्ड (T. Raymound) के अनुसार, "पाठ्यक्रम, जो कि बालक की वर्तमान तथा भावी की आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित किया गया हो, उसे निश्चित रूप से उसकी रचनात्मक शक्ति के विकास का प्रयत्न करना चाहिये।"

पैस्टालॉजी (Pestalozy) ने भी शिक्षा को एक प्रगतिवादी दृष्टिकोण (Progressive Attitude) के रूप में परिभाषित किया है।

"If we are to adopt a conservative attitude, it must be selective attitude also."

—*Ryburn*

"There must be a combination between traditionalism and modernism." —*Tagore*

(9) अवकाश के क्षणों के सदुपयोग का सिद्धान्त (Principle of Training for Leisure)—विद्यार्थी के समक्ष अवकाश के क्षणों के सदुपयोग करने की एक बड़ी समस्या रहती है। वे प्राय: अपना खाली समय को बेकार की बातों में नष्ट कर देते हैं। अवकाश के समय का सदुपयोग न होने के कारण वे कभी-कभी अनुशासनहीनता के भी शिकार हो जाते हैं। अत: विज्ञान के पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे प्रकरण रखने चाहियें जिनसे बालकों में इस विषय में रुचि उत्पन्न हो और वे अवकाश के समय में इसका अध्ययन करके आनन्द प्राप्त कर सकें। बालकों को विज्ञान की कुछ ऐसी पहेलियाँ तथा समस्याएँ हल करने को दी जा सकती हैं जिनके द्वारा काफी मनोरंजन हो सकता है और साथ ही वे विज्ञान की विषयवस्तु का ज्ञान भी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। कहा भी गया है कि-

'An empty mind is a devil's workshop.'

(10) अनुभवों की पूर्णता का सिद्धान्त (Principle of the Totality of Experiences)—पाठ्यक्रम के अन्तर्गत मानव जाति के अनुभवों की पूर्णता निहित होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम में परम्परागत ढंग से पढ़ाये जाने वाले सैद्धान्तिक विषयों के साथ-साथ उन सभी अनुभवों को भी स्थान दिया जाना चाहिए जिनको बालक विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। ये क्रियाएँ विद्यालय, खेल के मैदान, कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा छात्रों एवं शिक्षकों के अनौपचारिक सम्पर्कों में निरन्तर गतिशील रहती हैं। इस दृष्टि से विद्यालय का सम्पूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी यही विचार है। **माध्यमिक शिक्षा आयोग** के अनुसार, "पाठ्यक्रम का अर्थ केवल सैद्धान्तिक विषयों से नहीं है, बल्कि इसमें अनुभवों की सम्पूर्णता भी निहित होती है।"

"Curriculum does not mean only the academic subjects but it includes the totality of experiences."

—*Secondary Education Commission Report*

(11) उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धान्त (Principle of Achievement of Wholesome Behaviour Patterns)—बालक के समाजीकरण तथा सफल एवं व्यवहारकुशल बनाने